



## The Jharkhand University of Technology Act, 2011

Act 18 of 2015

Keyword(s):

University, Technology, Student, Teacher

Amendment appended: 15 of 2019

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 855 राँची, मंगलवार

17 अग्रहायण, 1937 (श०)

8 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल0जी0-03/2014-133/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

#### झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

(झारखंड अधिनियम, 18, 2015)

झारखंड में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों में उपबंध करने के लिए अधिनियम।

चूँकि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजिनियरी एवं प्रबंधन, विशेषकर इंजिनियरी में शिक्षा एवं शोध के उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन का उन्नयन करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि झारखंड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त विद्यमान इंजीनियरी एवं तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोज्य विज्ञान में शोध सुविधाओं का विकास हो;

और, चूँकि प्रौद्योगिकी- प्रवाह में वैश्विक परिवर्तन एवं झारखंड की आवश्यकता के अनुकूल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोज्य विज्ञान और प्रबंधन में शोध को कार्यान्वित करना तथा शिक्षा देना आवश्यक हो गया है।

और, इसलिए झारखंड में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन है।

भारत-गणतंत्र के एकसठवें वर्ष में झारखंड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

## अध्याय -1

### प्रारम्भिक

#### 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार:-

- (i) यह अधिनियम झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 कहलाएगा।
- (ii) यह सम्पूर्ण राज्य में प्रवृत्त होगा।
- (iii) यह तुरन्त लागू होगा किन्तु प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (3)(i) के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आएगा।

#### 2. परिभाषाएँ :-

जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, इस अधिनियम में :-

- (i) "विद्यमान महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था जो तकनीकी शिक्षा देते हो और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन अथवा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित हो;
- (ii) "प्रस्तावित" से अभिप्रेत है नियमावली द्वारा प्रस्तावित ;
- (iii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान, चाहे उसे जो कहा जाए और उसमें शामिल हैं, जहाँ प्राचार्य नहीं हो वहाँ वह व्यक्ति जो तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त हो और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में सम्यक् नियुक्त उप-प्राचार्य ;
- (iv) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की नियमावली ;
- (v) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शिल्प, प्रबंधन, नगर योजना, अनुप्रयोज्य कला एवं शिल्प, अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा अन्य ऐसे कार्यक्रम या क्षेत्र जो केन्द्र सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें, में शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम;
- (vi) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;
- (vii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बंधन दिया गया हो ;
- (viii) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस के उपबंधों के अधीन या द्वारा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार मिला हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो ;

- (xi) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और उसमें झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी शामिल है;
- (x) "अंगीभूत महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई महाविद्यालय जो विद्यार्थियों को विहित कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है तथा उसमें शामिल है इस के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित और बाद में इस विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित महाविद्यालय;
- (xi) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार ;
- (xii) "संस्था" से अभिप्रेत है इंजिनियरी, प्रौद्योगिकी, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान, वास्तुशिल्प या ललित कला, पोलिटेकनिक में शिक्षण, शोध, प्रयोग/प्रायोगिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था, संगठन, प्रशिक्षण केन्द्र या अन्य प्रतिष्ठान;
- (xiii) "कुल सचिव" से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुल सचिव;
- (xiv) "शिक्षक" में शामिल हैं महाविद्यालय के प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, रीडर और व्याख्याता तथा महाविद्यालय में अनुदेश देने वाले कोई अन्य व्यक्ति जिसे शिक्षक के रूप में घोषित किया गया हो।

## अध्याय - II

### विश्वविद्यालय

#### विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

3. (i) विश्वविद्यालय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अस्तित्व में माना जाएगा।
- (ii) विश्वविद्यालय "झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" के नाम से जाना जाएगा और इसका मुख्यालय राँची में होगा।
- (iii) तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, शासी निकाय, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्य झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।
- (iv) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चलाएगा या उस पर वाद चलाया जाएगा।

#### शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग :-

4. (i) विश्वविद्यालय इस के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण झारखंड में करेगा। परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में परिवर्तन कर सकती है।
- (ii) अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को तकनीकी शिक्षा देने अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.प), नई दिल्ली के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विद्यमान महाविद्यालय या संस्था, जो पर्षद अथवा राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विद्यमान सभी महाविद्यालय या

संस्था (कुछ (डीम्ड) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर) इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त माने जायेंगे।

- (iii) राज्य में विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न तकनीकी शिक्षा देने वाले प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था, इस के प्रारम्भ होने की तिथि को, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से धारा-3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त माने जायेंगे और पर्षद अथवा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, के अधीन या द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट) से प्राप्त संबंधन या सहयोजन समाप्त हो जाएगा ;

परन्तु इसे प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को इसके प्रारम्भ होने के पश्चात् भी पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय के अधीन ऐसा अध्ययन जारी रखने का हक होगा एवं उसको इसकी अनुमति होगी तथा पूर्ववर्ती पर्षद अथवा विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा आयोजित करेगा और वह तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

#### विश्वविद्यालय का सभी वर्ग एवं पंथ के लिए खुला होना :-

5. विश्वविद्यालय वर्ग या पंथ पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा:

परन्तु अधिनियम द्वारा अवधारित संख्या से अधिक संख्या के विद्यार्थियों के लिए कोई पाठ्यक्रम शामिल करने हेतु विश्वविद्यालय को इस धारा के अधीन कोई बात अपेक्षित नहीं होगी

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विशेष उपबंध बनाने से इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को बाधित नहीं करेगी ;

#### विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य

6. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (i) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोज्य विज्ञान एवं प्रबंधन तथा ऐसी अन्य विद्या शाखा, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए शिक्षण एवं अनुदेश उपलब्ध कराना।
- (ii) विभिन्न विद्या शाखाओं में उच्च अध्ययन एवं शोध के विभाग, केन्द्र स्थापित करना।
- (iii) विभिन्न विद्या शाखाओं में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए पाठ्यक्रम विहित करना।
- (iv) अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन और ऐसी अन्य विद्या शाखा जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में संस्थाओं को संबंधन या असंबंधन देना।
- (v) परीक्षा आयोजित करना और ऐसी परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना।
- (vi) ऐसे व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-डिप्लोमा, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना जिन्होंने महाविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया हो अथवा विहित रीति से शोध किया हो।

- (vii) इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं संस्थाओं का निरीक्षण एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।
- (viii) अ.भा.त.शि.प./वि.अ.आ. एवं पाठ्यक्रमों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे अन्य केन्द्रीय निकायों के मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन-प्रक्रिया विहित करना।
- (ix) विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाले सभी पहलुओं में शोध करना एवं उसका प्रायोजन।
- (x) नियमावली द्वारा यथाविहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना।
- (xi) ऐसे उद्देश्यों के लिए जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं तथा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत संगठनों के साथ सहयोग करना।
- (xii) ऐसी योग्यता की मान्यता के लिए जो विश्वविद्यालय उचित समझे, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।
- (xiii) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या, कार्यशाला, सेमिनार एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना।
- (xiv) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संविधि द्वारा यथा नियत पदों का सृजन करना, पदाधिकारियों एवं अन्य प्रभारियों की नियुक्ति करना।
- (xv) ऐसे उद्देश्यों के लिए जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार और अन्य निकाय से उपहार, चंदा या दान प्राप्त करना।
- (xvi) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ किसी स्थायी या अस्थायी सम्पत्ति का अर्जन, क्रय, पट्टा पर लेना या निष्पादन करना।
- (xvii) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विलेख, पट्टा का निष्पादन तथा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर, संविदा करना/संविदा रद्द करना।
- (xviii) इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प एवं ऐसे अन्य निकायों, जो सांविधिक अथवा असांविधिक हो, से समझौता करना।
- (xix) ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय की किसी एक या सभी शक्तियों के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए लाभकर हो।

### अध्याय - III

#### विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

#### 7. विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण :-

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

- (i) कुलाधिपति,
- (ii) कुलपति,
- (iii) कुल सचिव,
- (iv) वित्त पदाधिकारी,
- (v) निदेशक, पाठ्यक्रम विकास,

(M) परीक्षा नियंत्रक, और

(Mi) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के लिए नियमावली में यथाघोषित पदाधिकारी।

8. **कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ :-**

- (i) झारखण्ड राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे तथा अपने पदाभिधान से इसके प्रधान होंगे।
- (ii) कुलाधिपति जब उपस्थित हों, तब विश्वविद्यालय की बैठकों एवं दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (iii) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकार इनके अधीनस्थ होंगे।
- (iv) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशाला, कार्यशाला एवं उपकरण, किसी महाविद्यालय या छात्रावास, संचालित किए गए किसी शिक्षण या परीक्षा कार्य अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी कार्य और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा किए गए निरीक्षण कार्य को, जिसको उसने निदेश दिया था, निरीक्षण कराने की शक्ति होगी तथा इसी तरह वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी मामले के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और सम्बद्ध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग करें।

परन्तु कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, अपने निरीक्षण या जाँच करने या कराने अथवा संचालित निरीक्षण की जाँच की सूचना कुलपति को देगा तथा विश्वविद्यालय को उसमें प्रतिनिधित्व करने का हक होगा।

- (i) (क) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम को कुलपति को भेज सकता है तथा कुलपति कुलाधिपति के दृष्टिकोण की संसूचना कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् को देगा।
- (ख) कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट जो ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर की गयी हो अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित हो, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कुलाधिपति को करेगी।
- (ग) जहाँ कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् समुचित समय के भीतर कुलाधिपति के समाधान पर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो कुलाधिपति परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् उसे तुरन्त अनुपालन करेगी:

परन्तु उप-धारा (V) में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति, यदि वह आवश्यक समझे तो कुलपति या अन्यथा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक या पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय से स्पष्टीकरण माँग सकते हैं और आरोपों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश निर्गत कर सकते हैं जो वह उचित समझे तथा कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् या शासी निकाय यथास्थिति उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेंगे।

- (i) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या इस के उपबंधों के अधीन कुलपति या सरकार द्वारा निदेशित किये जाने पर लिखित आदेश से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की किसी ऐसी कार्यवाही को बाधित कर सकता है जो इस अधिनियम, नियमावली या तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि के अनुरूप नहीं हो।

परन्तु ऐसे किसी आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकार से कारण पृच्छा कर सकेगा कि ऐसा आदेश पारित क्यों नहीं किया जाए और यदि ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई कारण विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

(i) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को निलंबित या बर्खास्त तथा विश्वविद्यालय के अंतरिम प्रशासन के लिए उपाय करने का अधिकार होगा,

परन्तु किसी ऐसी कार्रवाई के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकारी को कारण पृच्छा का अवसर देगा कि क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई की जाए।

(ii) मानद उपाधि प्रदान करने या वापस करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टी के अधीन होगा।

(iii) विश्वविद्यालय सेवा के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा पारित बर्खास्तगी के किसी आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति के पास अपील की जाएगी।

(iv) सम्बंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश तामील होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उप-धारा (ix) के अधीन अपील दायर की जाएगी।

(v) कुलाधिपति को निधि कुप्रबंधन या अवचार के आरोप पर अथवा किसी ठोस एवं पर्याप्त कारण से लिखित आदेश द्वारा कुलपति को पद से हटाने की शक्ति होगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कुलपति को हटाने का कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि इस प्रयोजनार्थ कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा संचालित जाँच से आरोप प्रमाणित न हो जाए।

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन कुलपति को तबतक नहीं हटाया जाएगा जबतक कि उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर उसे न दिया गया हो।

(vi) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी जो इस या नियमावली द्वारा उसे प्रदान की जाए।

#### 9. कुलपति और उसकी नियुक्ति

(i) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति से अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से करेगा।

(ii) उप-धारा (i) में निर्दिष्ट समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अ.भा.त.शि.प. द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा, एक कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा तथा शेष एक सदस्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, और कुलाधिपति उनमें से एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का सदस्य हो अथवा विश्वविद्यालय या उसके द्वारा मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त या अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी हो।

(i) समिति अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपेक्षित अनुशंसा करेगी, ऐसा नहीं होने पर कुलाधिपति द्वारा दूसरी ऐसी समिति नियुक्त की जाएगी जो कुलाधिपति को अपेक्षित अनुशंसा करेगी, तदनुसार कुलाधिपति, कुलपति नियुक्त करेगा।

(ii) कुलपति अपना पद धारण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दूसरी अवधि जो तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी अथवा नियमावली के अधीन विहित उम्र पूरा होने तक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(iii) कुलपति को देय पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा-शर्तें नियमावली द्वारा अवधारित किए जायेंगे।

#### 10. कुलपति की शक्तियाँ एवं कृत्य



- (i) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक एवं कार्यपालक पदाधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी उसके सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे।
- (i) कुलपति कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की किसी बैठक में उपस्थित रहने एवं संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु उसमें मतदान करने का हकदार तबतक नहीं होगा जबतक कि वह सम्बद्ध प्राधिकार का सदस्य न हो।
- (i) इस अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा उसे इस प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- (i) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त या अनुरक्षित संस्थाओं के निरीक्षण करने का अधिकार कुलपति को होगा।
- (i) यदि कुलपति की राय हो कि कोई आदेश या विनिश्चय जिसे पारित किया जाना अपेक्षित है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा किया गया कोई आदेश या विनिश्चय पारित किया जाना या तुरन्त करना आवश्यक हो तथा उस प्रयोजनार्थ उक्त प्राधिकार की बैठक बुलाना व्यवहार्य नहीं हो तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसा विनिश्चय कर सकता है जो वह उचित समझे और उसे उक्त प्राधिकार की अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए रख सकता है और जहाँ प्राधिकार कुलपति से असहमत हो, वहाँ मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कुलपति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-
- (क) सहायक कुल सचिव से न्यून और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर अथवा ऐसे पदों पर जैसा कि उनका कर्तव्य विहित या विनिर्दिष्ट किया जाए, नियुक्ति करना।
- (ख) शिक्षकेतर कर्मचारी सहित सहायक कुल सचिव से न्यून पंक्ति के विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का निलम्बन, बर्खास्तगी या अन्यथा दण्ड देना, और
- (ग) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाई करना:  
परन्तु वह इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति को कुल सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (i) विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् या विद्या परिषद् या किसी अन्य प्राधिकार की बैठक बुलाने की शक्ति कुलपति को होगी।
- (i) कुलपति को यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की कार्यवाही का अनुपालन इस या नियमावली के उपबंधों के अनुसार हो और जहाँ कुलपति की राय में विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकार की कोई कार्यवाही या आदेश से इस या नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन होता हो तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है तथा कुलाधिपति को रिपोर्ट भेज सकता है अथवा धारा-8 की उप-धारा (i) के उपबंधों के अनुसार अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देश कर सकता है।
- (i) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि या नियमावली में विहित किया जाए।
- (i) मुख्यालय से कुलपति की अनुपस्थिति अथवा बीमारी जैसे कारणों से उनकी असमर्थता की दशा में कुलाधिपति ऐसी अनुपस्थिति के दौरान कुलपति के कर्तव्यों के सम्पादन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जो वह उचित समझे।

( ) मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारणों से कुलपति के पद रिक्त हो जाने की दशा में कुलाधिपति किसी व्यक्ति को कुलपति के रूप में तबतक कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जबतक कि धारा-9 के अनुसार कुलपति की नियमित नियुक्ति न हो जाए। परन्तु ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

#### 11. कुलसचिव

कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्य परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर की जाएगी जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाए।

#### 12. कुलसचिव की शक्तियाँ एवं कृत्यः-

कुलसचिव निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:-

- ( ) विश्वविद्यालय के अभिलेख और सामान्य मुहर की अभिरक्षा।
- ( ) विश्वविद्यालय के छात्रों के शैक्षिक कार्य सम्पादन के स्थायी अभिलेख का अनुरक्षण, जिनमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त किए गए ग्रेड, प्रदान की गयी उपाधियाँ, जीते गए पुरस्कार या अन्य विशिष्टताएँ और छात्रों के शैक्षिक कार्य सम्पादन के संबंध में कोई अन्य अभिलेख भी शामिल हैं, और
- ( ) विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन।
- ( ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करना जो या नियमावली द्वारा विहित किए जाएँ।
- ( ) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वाद या कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना और अभिवचन सत्यापित करना अथवा इस प्रयोजनार्थ अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना।

#### 13. वित्त पदाधिकारी

- ( ) कार्य परिषद् सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य/केन्द्रीय वित्त सेवा/केन्द्रीय राजस्व सेवा/लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा से आने वाले पदाधिकारियों के नामों के पैनल में से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के रूप में नियमावली द्वारा यथाविहित अवधि एवं शर्तों पर नियुक्ति करेगी।
- ( ) वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा, कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन होगा और यथाविहित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगा।

#### 14. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी

- (i) कार्य परिषद्, निदेशक पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा नियंत्रक और धारा-8 के खंड ( ) में यथा निर्दिष्ट अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति यथा विहित अवधि एवं शर्तों पर करेगी।

#### अध्याय - IV

#### विश्वविद्यालय का प्राधिकार

#### 15. विश्वविद्यालय का प्राधिकार :-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:-

- (क) शासी निकाय
- (ख) कार्य परिषद्
- (ग) वित्त परिषद्
- (ध) विद्या परिषद् ; तथा
- (ड) विश्वविद्यालय प्राधिकार के लिए कानून द्वारा यथा घोषित अन्य प्राधिकार।

#### 16. शासी निकाय

(1) शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

- ( ) कुलाधिपति
- ( ) कुलपति
- ( ) कुलसचिव
- ( ) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार
- ( ) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार
- ( ) सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार
- ( ) सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार
- ( ) महामहिम राज्यपाल, झारखंड के सचिव
- ( ) अध्यक्ष, अ.भा.त.शि.प. या उसका नामनिर्देशिती
- ( ) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
- ( ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या सम्बद्धता प्राप्त सभी संस्थाओं के प्राचार्यगण।
- ( ) उद्योग, शोध एवं विकास, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, ललित कला, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान एवं लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले चार लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति (सरकार द्वारा नामनिर्देशित)।
- ( ) पोलिटेकनिक संस्थानों के नियमित प्राचार्यगण।
- ( ) राँची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, बी०आई०टी०, मेसरा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गण।
- ( ) प्रबंध निदेशक, सेल, मेकॉन, सी.सी.एल, एच.इ.सी. तथा निदेशक, एन.आइ.एफ.एफ.टी. एवं एक्स.एल.आर.आइ.।
- ( ) कुलाधिपति द्वारा मनोनित दो सदस्य।
- ( ) राज्य के विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से मनोनित दो सदस्य।

#### 17. शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कृत्य

- ( ) कुलाधिपति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- ( ) कुलपति शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- ( ) शासी निकाय का कार्य ऐसी रीति एवं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार संचालित होगा जैसा कि विश्वविद्यालय नियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

- (i) शासी निकाय के सदस्य समय-समय पर यथा विहित दैनिक एवं यात्रा भत्ता पाने का हकदार होंगे किन्तु किसी पारिश्रमिक के पात्र नहीं होंगे।
- (i) कोई व्यक्ति जिसे किसी खास नियुक्ति या पद धारक के रूप में शासी निकाय का सदस्य बनाया गया है या नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनको उस नियुक्ति या पद पर नहीं रहने पर शासी निकाय के सदस्य बने नहीं रहेंगे।
- (i) (क) पदेन सदस्य से भिन्न शासी निकाय का हर सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा: परन्तु ऐसा सदस्य पुनर्नामनिर्देशन का पात्र होगा, किन्तु लगातार दो अवधि से अधिक पद धारण नहीं करेगा।
- (ख) शासी निकाय का नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। ऐसा त्याग पत्र सदस्य द्वारा लिखित पत्र के रूप में कुलाधिपति को दिया जाएगा और यह सरकार द्वारा स्वीकृत होने की तारीख से प्रभावी होगा।
- (i) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से आकस्मिक रिक्तियाँ सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरी जाएगी।
- (i) शासी निकाय वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक करेगा।
- (i) शासी निकाय की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता पर बैठक बुलाई जायेगी, जो उपर्युक्त अध्यक्षता की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के बाद नहीं होगी।
- (i) शासी निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई अथवा छः व्यक्ति, जो भी कम हो, से होगी।

#### 18. कार्य परिषद्

- (i) कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

- (i) कुलपति
- (ii) कुल सचिव
- (iii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार या उसका नामनिर्देशिनी।
- (iv) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिनी।
- (v) सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिनी।
- (vi) सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिनी।
- (vii) अध्यक्ष, अ.भा.त.शि.प. या उसका नामनिर्देशिनी।
- (viii) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
- (ix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों के चार प्राचार्य।
- (x) उद्योग, शोध एवं विकास, इंजिनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, ललित कला, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान तथा लोक जीवन आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले चार लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति (सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट)।
- (xi) वित्त पदाधिकारी।
- (xii) निदेशक, पाठ्यक्रम विकास।
- (xiii) परीक्षा नियंत्रक।

- ( ) कुलपति कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- ( ) कुलसचिव कार्य परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- ( ) कार्य परिषद् का कार्य विश्वविद्यालय की नियमावली द्वारा समय-समय पर यथा विहित रीति एवं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार संचालित होगा।
- ( ) कार्य परिषद् के सदस्य समय-समय पर यथा विहित दैनिक एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु कोई पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं होगा।
- ( ) कोई सदस्य जिसे किसी खास नियुक्ति या पदधारक के रूप में कार्य परिषद् का सदस्य बनाया गया है या नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि वह उस खास नियुक्ति या पद पर नहीं रहता है तो वह कार्य परिषद् का सदस्य बना नहीं रहेगा।
- ( ) (क) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का हर सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा: परन्तु ऐसे सदस्य पुनर्नामनिर्देशन के पात्र होंगे किन्तु ऐसे सदस्य लगातार दो अवधि से अधिक पद धारण नहीं करेंगे ;
- (ख) कार्य परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसा त्यागपत्र सदस्य द्वारा लिखित पत्र के रूप में कुलाधिपति को भेजा जाएगा और त्याग पत्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ;
- ( ) नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से सभी आकस्मिक रिक्तियाँ सरकार द्वारा नाम निर्देशन से भरी जाएगी।
- ( ) कार्य परिषद् कम-से-कम तीन माह में एक बार बैठक करेगी तथापि आवश्यक होने पर बैठक कर सकती है।
- ( ) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक तिहाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता पर कुलपति अपने द्वारा नियत तारीख पर उसकी बैठक बुला सकेगा, जो ऐसी अध्यक्षता प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के बाद नहीं होगी।
- ( ) कुलपति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।
- ( ) कार्य परिषद् की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई अथवा छह व्यक्ति जो भी कम हो, होगी।

### 19. कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य

- ( ) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का पृथक् कार्यपालक निकाय होगा और यह निम्नलिखित कृत्य सम्पादित करेगा:-
- (i) कुलपति द्वारा प्रस्तुत बजट प्राक्कलन को अनुमोदित करना;
- (ii) विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (iii) विश्वविद्यालय के लिए या इसके निमित्त सम्पत्तियों का अर्जन, धारण या निष्पादन करना अथवा उपहार या चंदा स्वीकार करना;
- (iv) विश्वविद्यालय के निवेश के लिए व्यवस्था करना तथा रूपये-पैसों का आहरण करना;

- (v) इस अधिनियम एवं एतद्दीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधो के अनुरूप विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित नीतियों का अवधारण एवं विनियमन करना;
- (vi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने करने के लिए विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनार्थ तथा उसके शैक्षिक क्रियाकलापों से संबंधित समुचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक स्थायी या अस्थायी समितियों की नियुक्ति;
- (vii) महाविद्यालयों के शैक्षिक स्वायत्ता को बढ़ावा देना;
- (viii) नियमावली बनाना;
- (ix) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहालय आदि की स्थापना, सज्जा एवं अनुरक्षण;
- (x) शोध एवं विकास का प्रबंध करना तथा ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना;
- (xi) भत्ता एवं यात्रा भत्ता का प्रबंध, छात्रवृत्ति, वजीफा, मेडल एवं पुरस्कार संस्थित तथा प्रदर्शनी आयोजित करना;
- (xii) विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का नियमावली द्वारा विहित रीति से नियंत्रण एवं व्यवस्थापन;
- (xiii) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्यथा उपबंधित हो;
- (l) इस द्वारा स्पष्टतः उपबंधित के अतिरिक्त कार्य परिषद् विश्वविद्यालय से संबंधित पदों की दशा में ऐसे पदो पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के संबंध में नियमावली बनाने में सक्षम होगी।

## 20. विद्या और वित् परिषद्

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता के लिए एक विद्या और एक वित् परिषद् विश्वविद्यालय मुख्यालय में गठित की जाएगी, इसका गठन, शक्ति एवं कृत्य वही होंगे जो संविधि द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

## 21. विश्वविद्यालय प्राधिकारों द्वारा समितियों का गठन

विश्वविद्यालय के हरेक प्राधिकार की यह शक्ति होगी कि वे ऐसी समितियों का गठन करे, जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, और उनमें प्राधिकार के ऐसे सदस्यों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को रखा जा सकता है जो वह उचित समझे।

## 22. प्राधिकार की सदस्यता से हटाना

कार्य परिषद् किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकार की सदस्यता से नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्ध होने के आधार पर हटा सकेगी।

## 23. प्राधिकार गठन विषयक विवाद

जहां किसी व्यक्ति को कार्य परिषद् से भिन्न अन्य प्राधिकार के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन या नियुक्ति या उसकी हकदारी के बारे में अथवा कार्य परिषद् सहित किसी प्राधिकार के कार्य या कार्यवाही विहित अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत होने के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो तो उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

**24. अस्थायी रूप में पदाधिकारियों की नियुक्ति और समितियों के गठन के लिए कुलपति की शक्ति**

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और जबतक किसी प्राधिकार का सम्यक् रूप से गठन न हो जाए तबतक कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन किसी पदाधिकारी की नियुक्ति अथवा समिति के गठन अस्थायी रूप में कर सकता है जो इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकार की सभी या किसी शक्ति एवं कृत्य का प्रयोग एवं सम्पादन करते हैं।

**25. विधिक संरक्षण**

कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त परिषद् अथवा इस के अधीन संगठित अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अथवा इसके सदस्यों में से कोई रिक्ति होने के कारण अथवा इसके किसी सदस्य के नामनिर्देशन या नियुक्ति में अविधिमान्यता के कारण अविधिमान्य नहीं समझे जायेंगे।

**अध्याय - V****विश्वविद्यालय निधि****26. विश्वविद्यालय की निधि :-**

(i) यह विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित होगी तथा उसमें निधि के निम्नांकित श्रोत होंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।

(ग) किसी निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अंतरदान, दान, वृत्ति दान या अनुदान।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क एवं चार्ज या आदि से प्राप्त आय।

(ङ) किसी अन्य श्रोत से प्राप्त धन राशि।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 1934 (केन्द्रीय धारा संख्या-2/1934) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी अनुसूची बैंक या बैंकिंग कंपनीज या बैंकिंग या बैंकिंग कंपनियों की धारा 1970 (केन्द्रीय धारा नं0-5) तथा बैंकिंग अधिग्रहण एवं प्रतिष्ठानों का स्थानान्तरण (धारा 1980) (1980 की केन्द्रीय धारा सं0-40) तथा भारतीय न्यास धारा 1942 के तहत अधिकृत प्रतिभूतियों में (1982 की केन्द्रीय धारा सं0-2) जैसा भी कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्णय किया जाए, में कोष की राशि को जमा अथवा उसका निवेश किया जायेगा।

(iii) विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमावली द्वारा निर्धारित किसी भी कार्य हेतु कथित कोष का उपयोग किया जा सकता है।

**27. उधार लेने की शक्ति**

विश्वविद्यालय भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राशि स्वीकार करेगा और अपने प्रयोजनों के लिए बैंक या निगम से उधार भी ले सकेगा बर्शर्त कि जहाँ विश्वविद्यालय बैंक या निगम या दोनों से एक बार में या कुल पचास हजार से अधिक की राशि उधार लेना चाहता है तो इसके लिए उसे सरकार से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

**28. वित्तीय मामलों में कतिपय प्रतिबंध**

विश्वविद्यालय, सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना कर्णांकित निधियों का विचलन अन्य प्रयोजनों में अथवा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण में अथवा ऐसी स्कीम कार्यान्वित करने में जिसमें सरकार से समरूप अंशदान हो

अथवा प्रयोजित करने वाले प्राधिकार द्वारा सहायता रोक दी जाने की स्थिति में सरकार पर आवर्ती दायित्व अध्यारोपित होता हो, नहीं करेगा।

परन्तु कार्य परिषद् एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए शिक्षकों के पदों का सृजन एवं भर्ती प्राधिकृत कर सकती है किन्तु राज्य सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना ऐसे पद जारी नहीं रहेंगे अथवा उक्त अवधि के पश्चात् किसी अवधि के लिए पुनः सृजित नहीं किये जायेंगे।

**29. पेंशन, बीमा निधि आदि का गठन :-**

(i) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ नियमावली द्वारा यथा विहित रीति एवं शर्तों के अध्याधीन ऐसी पेंशन, बीमा, उपदान या भविष्य निधि का गठन कर सकता जो वह उचित समझे।

**30. वार्षिक प्रतिवेदन का लेखा एवं लेखा परीक्षा :-**

(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा कार्य परिषद् द्वारा सरकार को उपस्थापित किया जायेगा जो ऐसे व्यक्ति से लेखा परीक्षा करा सकती है जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे।

(ii) लेखा परीक्षित लेखा मुद्रित कराया जायेगा और उसकी प्रतियाँ, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ-साथ कार्य परिषद् द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ सरकार को उपस्थापित किया जायेगा। सरकार कार्य परिषद् की टिप्पणी के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी।

**अध्याय - VI**

**संविधि, विधेयक एवं नियमावली**

**31. संविधि**

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन नियमावली में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकता है:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के गठन, शक्ति एवं कृत्य ;
- (ख) प्राधिकारों के सदस्यों में से रिक्तियाँ भरने की रीति;
- (ग) प्राधिकारों एवं उनकी समिति के सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले भत्ते;
- (घ) प्राधिकार की बैठक की प्रक्रिया, जिसमें ऐसी बैठक के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति भी शामिल है;
- (ङ.) प्राधिकारों के आदेशों, विनिश्चयों का प्रमाणन;
- (च) कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की पदावधि, नियुक्ति-पद्धति एवं सेवा शर्तें
- (छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की अर्हता;
- (ज) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वर्गीकरण, नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा के निबंधन एवं शर्तों का अवधारण;
- (झ) विश्वविद्यालय पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ पेंशन, बीमा, उपदान या भविष्य निधि का गठन;



- (ज) अंगीभूत महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम, शोध, प्रयोग एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र की परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रभारित शुल्क;
- (ट) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वजीफा, मेडल एवं पुरस्कार तथा उसके प्रदान करने की शर्तें
- (ठ) हॉल एवं छात्रावास की स्थापना एवं रख-रखाव;
- (ड) हॉल एवं छात्रावास में विश्वविद्यालय छात्रों के आवास की शर्तें और ऐसे आवास के लिए शुल्क एवं अन्य प्रकार का उद्ग्रहण;
- (ढ) डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
- (ण) मानद डिग्री एवं शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना;
- (त) स्नातकों की पंजीकरण की शर्तें एवं उसके रजिस्टर संधारण;
- (थ) इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलें।

### 32. संविधि बनाने की प्रक्रिया

- (i) धारा-31(1) में उपवर्णित मामलें के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमावली का प्रथम सेट सरकार द्वारा बनाया एवं अधिसूचित किया जायेगा।
- (ii) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम नियमावली के अतिरिक्त कार्य परिषद् समय-समय पर कोई नियमावली बना सकती है तथा इस धारा में उपबंधित होने पश्चात् किसी नियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है;

परन्तु उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम नियमावली अथवा कार्य परिषद् द्वारा बनायी गयी नियमावली की किसी बात से इस उप-धारा के अधीन तकनीकी विश्वविद्यालय के नियंत्रण में स्थानांतरित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

- (iii) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् द्वारा बनायी जाने वाली हर नियमावली के प्रारूप को कार्य परिषद् में प्रस्तावित करेगा और कार्य परिषद् की अगली बैठक में इस प्रारूप पर विचार किया जायेगा;

परन्तु विद्या परिषद् ऐसी किसी नियमावली के प्रारूप, नियमावली में कोई संशोधन अथवा किसी विद्यमान प्राधिकार की संविधि, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाली नियमावली के निरसन पर तबतक प्रस्ताव नहीं करेगी जबतक की ऐसे प्राधिकार को ऐसे प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त दृष्टिकोण पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो;

- (iv) कार्य परिषद् उप-धारा (iii) में यथा निर्दिष्ट किसी प्रारूप पर विचार कर सकती है और नियम पारित कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है अथवा अपनी सुझाव सहित किसी संशोधन के साथ पूर्ण रूप या आंशिक रूप में पुनः विचार हेतु विद्या परिषद् को वापस कर सकती है;
- (v) (क) कार्य परिषद् द्वारा पारित हर नियम कुलाधिपति को उपस्थापित किया जायेगा जो अपनी सहमति दे सकते हैं या इसे रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार हेतु कार्य परिषद् को भेज सकते हैं;
- (ख) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई नियम तबतक विधिमान्य नहीं होगा जबतक कि इस पर कुलाधिपति द्वारा अपनी सहमति नहीं दे दी जाती।

### 33. कार्य परिषद् की शक्तियाँ

यदि कार्य परिषद् किसी भी समय ऐसा करना आवश्यक समझे तो विद्या परिषद् के परामर्श से उसके निमित्त विशेष संकल्प द्वारा नियमावली को संशोधित, परिवर्धित या निरसित कर सकती है; परन्तु ऐसा हरेक संशोधन, परिवर्धन या निरसन:-

- (i) इस से सुसंगत होगा।
- (ii) तबतक विधिमान्य नहीं होगा जबतक की कुलाधिपति की सहमति नहीं मिल जाती।

### स्पष्टीकरण

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेष संकल्प से अभिप्रेत है इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई कार्य परिषद् की विशेष बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन चैथाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प।

### 34. अध्यादेश

- (i) इस के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध कर सकती है:-
  - (क) अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन;
  - (ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रम;
  - (ग) ऐसी शर्तों जिसके अधीन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के पाठ्यक्रम में छात्रों का नामांकन किया जायेगा;
  - (घ) विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन और ऐसी शर्तों जिसपर ऐसी परीक्षाओं में छात्रों का प्रवेश होगा;
  - (ङ) ऐसी रीति जिसमें परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश के मामलों में छूट दी जा सकें;
  - (च) परीक्षा निकाय एवं परीक्षकों की नियुक्ति की विधि, शर्तें और कर्तव्य;
  - (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
- (ii) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश बनाया जायेगा;
- (iii) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उसके द्वारा नियत तारीख से प्रभावी होंगे किन्तु इस प्रकार बनाए गए हर अध्यादेश को इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कार्य परिषद् को उपस्थापित किया जायेगा और कार्य परिषद् अपनी अगली उतरवर्ती बैठक में इस पर विचार करेगी;
- (iv) कार्य परिषद् को अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प से ऐसे किसी अध्यादेशों में उपान्तरण या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे अध्यादेश, ऐसे संकल्प पारित होने की तारीख से यथास्थिति उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या रद्द हो जायेंगे।

### 35. नियमावली

- (i) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, संकाय, कार्य परिषद् एवं वित्त परिषद्, कार्य परिषद् के अनुमोदन के अधीन इस अधिनियम एवं संविधि से सुसंगत नियम बना सकती है।
- (ii) नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे:-
  - (क) प्रत्येक प्राधिकार के सदस्य को नोटिस भेजने, बैठक की तारीख तथा इनकी बैठकों में होने वाले कार्यों और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने;
  - (ख) बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और बैठकों में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

- (ग) मात्र ऐसे प्राधिकार से संबंधित सभी मामले अथवा इस अध्यादेश या संविधि द्वारा उपबंध नहीं किए गए मामले।
- (iii) कार्य परिषद् उसके पास उपस्थापित नियमों को अनुमोदन करने से इंकार कर सकती है अथवा सम्बद्ध प्राधिकार को आगे विचार करने के लिए वापस कर सकती है अथवा बिना उपान्तरण के या ऐसे उपान्तरण के अध्यक्षीन जो वह उचित समझे, अनुमोदन कर सकती है।
- (iv) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि अथवा ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जैसा कि कार्य परिषद् निदेश दे।

### अध्याय - VII

#### प्रकीर्ण

#### 36. पिछड़ा वर्ग, अनु०जाति, अनु० जन जाति के लिए स्थानों का आरक्षण

विश्वविद्यालय सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनु०जातियों, अनु० जन जातियों के सदस्यों के लिए अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानों का आरक्षण सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर यथा अवधारित सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

#### 37. सदस्यों, पदाधिकारियों का लोकसेवक होना

विश्वविद्यालय के सभी सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मचारी जब कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अन्तर्गत लोकसेवक माने जायेंगे।

#### 38. अधिनियम और आदेश का संरक्षण

विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकार, निकाय या पदाधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो सद्भावपूर्वक की गयी हो या किए जाने से आशयित हो अथवा इस या नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक पारित किसी आदेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या उनसे नुकसानी का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

#### 39. कुलसचिव द्वारा कार्यवाही की प्रति सरकार को अग्रसारित किया जाना

कुलसचिव कार्य परिषद् की हरेक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के दो माह के भीतर सरकार को अग्रसारित करेगा।

#### 40. सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण कराने की शक्ति

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, कार्यशाला एवं उपकरण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, सम्बद्धता प्राप्त या अनुमोदित किसी संस्था अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्य तथा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के विषय में होने वाली जाँच का निरीक्षण करा सके।

#### 41. विश्वविद्यालय द्वारा धन के रूप में लाभांश आदि का भुगतान नहीं करना

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं छात्रों को पारितोषिक, पुरस्कार या विशेष अनुदान के अलावा कोई लाभांश, उपहार, अपयोजन या बोनस धन के रूप में भुगतान नहीं करेगा।

**42. भू-राजस्व के बकाये के रूप में ऋण आदि की वसूली**

जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्था या व्यक्ति को मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम के बकाये का भुगतान विनिर्दिष्ट तारीख से पहले नहीं किया गया हो वहाँ कार्य परिषद् वसूली की किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजस्व बकाया के रूप में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला के समाहर्ता को प्रमाण पत्र निर्गत कर सकती है और उपायुक्त उक्त प्रमाण पत्र में बकाया के रूप में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

**43. पुनरीक्षण समिति :-**

- (i) कुलाधिपति सामान्यतः विश्वविद्यालय के कार्य एवं प्रगति अथवा उसके किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के संबंध में जाँच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त कर सकता है।
- (ii) कुलाधिपति उक्त धारा (1) के अधीन बनाई गई उक्त समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है एवं ऐसा निदेश दे सकता है जो वह उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी मामले में आवश्यक समझे, और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों को अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

**44. विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन**

कार्य परिषद् कुलाधिपति के निदेशाधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और अपनी ऐसी वार्षिक बैठक के एक माह के भीतर जिसमें उक्त प्रतिवेदन विचार किया गया था, सरकार को उपस्थापित करेगी।

**45. निरसन और व्यावृत्ति**

- (i) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने, और इस अधिनियम की धारा (3) के अनुसार विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने की तिथि को एवं से, झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, अथवा पर्वद के नियमावली, के उपबंध अन्य विश्वविद्यालयों एवं पर्वद से असंबद्ध और इस के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्धन प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों पर लागू नहीं होंगे।
- (ii) ऐसा समापन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:-
  - (क) उक्त के पूर्ववर्ती क्रयान्वयन, अथवा पर्वद के नियमावली, अथवा
  - (ख) उक्त अधिनियम अथवा पर्वद के नियमावली के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड, अथवा
  - (ग) ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार उसी प्रकार संस्थित, जारी या प्रभावी रहेंगे तथा ऐसी किसी शास्ति समपहरण या दंड उसी प्रकार अधिरोपित किए जायेंगे मानो यह पारित ही नहीं हुआ था।

**46. संदेह एवं कठिनाई दूर करना**

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के प्रथम गठन अथवा जिसके पुर्नगठन के बारे में अथवा अन्यथा या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है

तो सरकार आदेश द्वारा इस अधिनियम अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकती है जो संदेह या कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु ऐसे किसी प्राधिकार की प्रथम समिति के विषय में इस के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की अवधि अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

\*\*\*\*

## विधि (विधान) विभाग

### अधिसूचना

12 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-०३/२०१४-१३४/लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक २३ सितम्बर, २०१५ को अनुमत झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

## THE JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACT, 2011

### (JHARKHAND ACT-18,2015)

### Introduction

AN ACT TO ESTABLISH AND INCORPORATE A TECHNICAL UNIVERSITY IN JHARKHAND AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

WHEREAS it is necessary to promote the creation of a centre of excellence in Education and Research in Science, Technology, Engineering and Management particularly in engineering and

whereas it is necessary to improve the quality of education being imparted by the existing Engineering and Technical colleges affiliated to various Universities established in Jharkhand, AND WHEREAS, it is necessary to develop facilities for research in Engineering, Technology and Applied Sciences,

AND WHEREAS, it is necessary to impart Education and carry out Research in Engineering and Technology, Applied Sciences, and Management responsive to the global change in streams of Technology and the need of Jharkhand.

AND WHEREAS, it is expedient to establish a Technical University in Jharkhand.

Be it enacted by the Governor of Jharkhand in the Sixty one year of the Republic of India as follows:-

### **CHAPTER - I**

#### **PRELIMINARY**

#### **1. Short title, Commencement and extent :-**

- (i) This Act may be called the Jharkhand University of Technology Act, 2011.
- (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come in to force at once but the proposed University shall come in to existence as per the provisions of Section (3) (i) of the Act.

#### **2. Definitions :-**

In this Act, unless the context otherwise requires,

- (i) "Existing College" means a College or an Institution, which imparts Technical Education and is run and maintained by a University established by or under the Jharkhand University of Technology Act;
- (ii) "Prescribed" means prescribed by the Rules;
- (iii) "Principal" means the Head of the College, by whatever name called, and includes where there is no Principal, a person for the time being duly appointed, to act as Principal and in the absence of the Principal or the acting Principal, the vice Principal duly appointed as such;
- (iv) "Rules" mean the Rules of the University made under this Act;
- (v) "Technical Education" means programmes of Education, Research and Training in Engineering, Technology, Architecture, Management, Town Planning, Pharmacy, Applied Arts and Crafts, Applied Sciences and such other programmes or areas as the Central Government may in consultation with the All India Council for Technical Education by notification in the Gazette declare;
- (vi) "University" means the Jharkhand University of Technology established under section 3.
- (vii) "Affiliated College" means an Institution which has been granted affiliation by the University in accordance with the provisions of this Act;
- (viii) "College" means an Institution maintained by, or admitted to the privileges of the Jharkhand University of Technology by or under the provisions of this Act;

- (ix) "Employee" means any person appointed by the Jharkhand University of Technology and includes teachers and other staff of the Jharkhand University of Technology;
- (x) "Constituent College" means any College established or maintained by the University for providing courses of study qualifying students for admission to the University examinations in accordance with the Statutes prescribed and includes a College established or maintained by any other University in the State immediately before the commencement of this Act and transferred to this University subsequently;
- (xi) "Government" means the Government of Jharkhand.
- (xii) "Institution" means an institution, Organization, training centre or other establishment providing Teaching, Research, Experimentation/Practical training in Engineering, Technology Physical and Social Sciences, Architecture or Fine Arts and includes a Polytechnic;
- (xiii) "Registrar" means the Registrar of the University.
- (xiv) "Teachers" includes Professors, Associate professor, Assistant Professor, Readers and Lecturers in a College and such other persons giving instruction in a College as may be declared to be teachers;

## CHAPTER - II

### THE UNIVERSITY

#### Establishment and Incorporation of the University

- 3.(i) The University shall be construed to have come into existence from the date of notification in the official Gazette.
- (ii) The University shall be known by the name of The Jharkhand University of Technology, and shall have its headquarters at Ranchi.
- (iii) The Chancellor, Vice Chancellor, and the members of the Governing Body and Executive Council and the Academic Council for the time being holding office shall constitute a body Corporate by the name of the Jharkhand University of Technology.
- (iv) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

#### Territorial Exercise of Powers

4. (i) The University shall, in the exercise of its powers under this Act, have jurisdiction over the whole of Jharkhand.

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, change the territorial jurisdiction of the University.

- (ii) All existing colleges or institutions affiliated to State universities (except the institutions affiliated to deemed University) on the date of commencement of this Act, imparting Technical Education or Education coming under the purview of All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi, shall be affiliated to this University.
- (iii) Every college or institution, other than an existing college, imparting technical education in the State, on the date of the commencement of this Act shall, with effect from such dates as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be affiliated to the University established under section 3 and shall cease to be affiliated to, or associated with the University established by or under the Jharkhand State Universities Act, 2000, hereinafter referred to in this section as erstwhile University:

Provided that a student pursuing his studies in Technical Education in any College or Institution, other than an existing college, on the date of such commencement, shall be entitled and be allowed to continue and complete such study under the erstwhile University after such commencement and

the erstwhile University shall hold examination of such student and confer degree or any other academic distinction on him in accordance with the procedure in force for the time being in the erstwhile University.

**University open to all classes and creed**

5. The University shall be open to all persons irrespective of class or creed:

Provided that nothing in this section shall be deemed to require the university to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Act.

Provided further that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provision for admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Disabled, Women, & Economically backward section of citizens.

**Powers and Functions of the University**

6. The University shall have the following functions namely-

- (i) To provide instruction and teaching leading to Bachelor's, Master's and Doctorate Degree in Engineering, Technology, Applied Sciences and Management and in such other branches of knowledge as the University may deem fit.
- (ii) To establish Departments, such as centers of advanced study and research in different branches of knowledge.
- (iii) To prescribe courses of study for Bachelor's, Master's and Doctorate degree in different branches of learning.
- (iv) To accord affiliation or disaffiliation to Institutions in Applied Science & Engineering, Technology and Management and in such other branches of knowledge as the University may deem fit.
- (v) To hold examinations and publish results of such examinations
- (vi) To confer degree and other academic distinction to, and on persons who have pursued a course of study in a College or have conducted research creditably in the manner to be prescribed.
- (vii) To provide for the inspection and to exercise general supervision over the affairs of colleges and institutions affiliated to it.
- (viii) To prescribe the procedures of admission to different courses of study as per the guidelines of the AICTE/UGC and such other Central bodies governing the courses.
- (ix) To sponsor and undertake research in all aspects covered by it.
- (x) To confer honorary degrees or other distinctions in such manner as may be prescribed by Rules.
- (xi) To co-operate with other Universities and Institutions of higher learning and professional and individual organizations for such purpose as the University considers necessary.
- (xii) To institute and award Fellowships, Scholarships and Prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit.
- (xiii) To organize and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers as well as for other staff.
- (xiv) To create posts, make appointments of officers and other charges as may be fixed by the Statutes, with the prior approval of the State Government.
- (xv) To receive gifts, donations or benefactions from the State Government or the Central Government and any other body consistent with the objects for which the University is established.
- (xvi) To acquire, purchase, take on lease or dispose of any property moveable or immovable for the purpose of the university with the prior approval of the State Government.
- (xvii) To execute deeds, leases and sign Memorandum of Understanding, enter into contracts / cancel contracts with the prior approval of the State Government.



- (xviii) To enter into agreement with Government of India, State Government, UGC, AICTE and other such bodies for the furtherance of its objectives.
- (xix) To do all such acts, as may be necessary for, or incidental to, the exercise of all or any of the powers of the University and as may be conducive to further the objects of the university.

### CHAPTER III

#### The Officers of the University

#### 7. The Officers of the University :-

The following shall be the officers of the university, namely: -

- (i) The Chancellor;
- (ii) The Vice-Chancellor;
- (iii) The Registrar;
- (iv) The Finance Officer;
- (v) The Director, Curriculum Development;
- (vi) The Controller of Examinations; and
- (vii) Such other officers of the University as may be declared by the Rules to be the officers of the University.

#### 8. The Chancellor and his Powers

- (i) The Governor of Jharkhand shall be the Chancellor of the University and shall, by virtue of his office, be the head of the University.
- (ii) The Chancellor, when present, shall preside over the meetings and at any Convocation of the University.
- (iii) All authorities of the University shall be subordinate to the Chancellor.
- (iv) The Chancellor shall have the powers to inspect the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, any College or hostel, the teaching or examinations conducted, or any act done by the University, and to get such inspection done by such person or persons who may be directed by him and to inquire or to cause any inquiry made, in like manner, in respect of any matter connected with the University, and it shall be the duty of the officers of the concerned University and College to render necessary assistance in such inspection.

Provided that the Chancellor shall, in every case, inform the Vice Chancellor of his intention to inspect or inquire or to get the inspection or inquiry conducted and the university shall be entitled to representation therein.

- (v)(a) The Chancellor may send the results of such inspection or inquiry to Vice-Chancellor and the Vice-Chancellor shall communicate the views of the Chancellor to the Executive Council and the Academic Council.
- (b) The Executive Council and the Academic Council shall report to the Chancellor within the specified period, such action, if any as has been taken or is proposed to be taken upon the results of such inspection or enquiry.
- (c) Where the Executive Council and the Academic Council fail to take action up to the satisfaction of the Chancellor within a reasonable time, the Chancellor may, after considering the explanation furnished or representation filed by the Executive and the Academic Council, give such direction as he considers fit and the Executive Council and the Academic Council shall at once comply.

Provided that notwithstanding anything contained in sub-section (v) the Chancellor, if he deems necessary, on the basis of report received from the Vice-Chancellor or otherwise, may call for explanation from any teacher or officer of the University or Colleges affiliated to it and after the consideration on the charges, issue such directions as he deems fit, and the Vice-Chancellor, the Executive Council and the

Academic Council or the Governing Body, as the case may be, shall comply with it within the specified period.

- (vi) The Chancellor may, either suo moto or on a reference made to him by the Vice-Chancellor under the provisions of this Act or by the Government, by order in writing, annul any proceeding of any of the authorities of the University which is not in conformity with this Act, the Rules or any other Law for the time being in force.

Provided that before making any such order the Chancellor shall call upon such authority to show-cause why such an order should not be made and, if any cause is shown by such authority within the specified time, shall consider the same.

- (vii) The Chancellor shall have the right to suspend or dismiss any of the authorities of the University and to take measures for the interim administration of the University.

Provided that before taking any such action, the Chancellor shall give an opportunity to such authority to show cause as to why such an action should not be taken.

- (viii) Every proposal for the conferment or withdrawal of an honorary degree shall be subject to confirmation of the Chancellor.

- (ix) An appeal shall lie to the Chancellor against any order of dismissal passed by the Executive Council or the Vice-Chancellor against any employee in the service of the University.

- (x) An appeal under sub-section (ix) shall be filed within sixty days from the date of service of the order of dismissal on the employee concerned.

- (xi) The Chancellor shall have power to remove the Vice-Chancellor from office by an order in writing on charges of mismanagement of funds or misconduct or for any other good and sufficient reason:

Provided that no order removing the Vice-Chancellor under this sub-section shall be passed until such charges are proved by an enquiry conducted by an officer not below the rank of Secretary to Government appointed by the Chancellor for the purpose.

Provided further that the Vice-Chancellor shall not be removed under this sub-section unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

- (xii) The Chancellor shall have such other powers as are conferred on him by this Act or the Rules.

#### **9. The Vice-Chancellor and his Appointment.**

- (i) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from out of a panel of three names, recommended by a Committee constituted by the State Government.

- (ii) The Committee referred to in sub-section (i) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the University Grants Commission/AICTE, one shall be elected by the Executive Council and the remaining member shall be nominated by the Government, and the Chancellor shall appoint one of the members to be the Chairman of the Committee:

Provided that no person shall be eligible to be a member of the Committee if he is a member of any of the authorities of the University or an employee of the University or of a College or institution maintained or recognized by or affiliated to, the University.

- (iii) The Committee shall make the required recommendation within a period of three months from the date of its appointment, failing which, another such Committee shall be appointed by the Chancellor to make the required recommendation to the Chancellor, who shall appoint a Vice-Chancellor accordingly.

- (iv) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment for another term not exceeding three years or till he attains such age as prescribed under Rules.
- (v) The remuneration payable to, and the other conditions of service of, the Vice-Chancellor shall be determined by the Rules.

**10. Powers and the Functions of the Vice-Chancellor**

- (i) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and all other officers of the University shall be subject to the general supervision and control of the Vice-Chancellor.
- (ii) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority concerned.
- (iii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the provisions of this Act and the Rules are observed and he shall have all the powers as necessary for this purpose.
- (iv) The Vice-Chancellor shall have the right to visit and inspect Institutions maintained by, or affiliated to, the University.
- (v) If the Vice-Chancellor is of the opinion that any order or decision which is required to be passed or made by any authority of the University is necessary to be passed or made immediately and it is not practicable to convene a meeting of the said authority for that purpose, he may pass such order or take such decision as he deems proper and place the matter before the said authority at its next meeting for ratification and where the authority differs from the Vice-Chancellor, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- (vi) Subject to the provisions of this Act the Vice-Chancellor shall have the following powers:-
  - (a) To make appointment to posts below the rank of Assistant Registrar and of non-teaching employees or to such posts as may be prescribed and specify their duties.
  - (b) To suspend, dismiss or otherwise punish any employee of the University below the rank of Assistant Registrar including non-teaching employees; and
  - (c) To take disciplinary action against students of the University:  
Provided that he may delegate any of the powers under this sub-section to the Registrar.
- (vii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene meetings of the Executive Council or the Academic Council or any other authority of the University.
- (viii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that the proceedings of the University are carried on in accordance with the provisions of this Act and the Rules, and where the Vice-Chancellor is of opinion that any proceedings or order of an authority or the University is in violation of any provision of this Act or the Rules he may, by an order in writing, stay the operation of such proceedings or order and send a report and make a reference to the Chancellor for a final decision in accordance with provisions of sub-section (vi) of section 8.
- (ix) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Act or the Rules.
- (x) In the event of absence of the Vice-Chancellor from the headquarters or his inability to act due to reason like illness, the Chancellor may make such arrangement for performance of the duties of the Vice-Chancellor as he may deem it, during such absence.
- (xi) In the event of the occurrence of vacancy in the office of the Vice-Chancellor by reason of death, resignation or otherwise, the Chancellor may appoint any person to act as Vice-Chancellor until a regular appointment of Vice-Chancellor is made in accordance with section 9.

Provided that the period of such interim arrangement shall not exceed six months.

**11. The Registrar**

The Registrar shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council for such period and on such terms and conditions as may be prescribed by the Rules.

**12. Powers and Functions of the Registrar**

The Registrar shall be responsible for-

- (i) The custody of the records and the common seal of the University.
- (ii) maintaining a permanent record of the academic performance of students of the University including the courses taken, grades obtained, degrees awarded, prizes or other distinctions won and any other items pertaining to the academic performance of the students; and
- (iii) Executing all contracts on behalf of the University.
- (iv) Exercising such other powers and performs such other duties as may be prescribed by the Act or the Rules.
- (v) Representing the University in suits or proceedings by or against the University, sign Powers of Attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose.

**13. The Finance Officer**

- (i) The Executive Council shall appoint a person selected from among a panel containing the names of officers belonging to the State / Central Finance Service/ Central Revenue Service/ Audit and Account Service, furnished by the Government, as the Finance Officer of the University for such period and on such terms as may be prescribed by the Rules.
- (ii) The Finance Officer shall be a whole-time officer of the University and shall, subject to the control of the Vice-Chancellor; exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.

**14. Other Officers of the University**

- (i) The Executive Council shall appoint the Director, Curriculum Development, the Controller of Examination and also the other officers of the University as referred to in clause (vii) of section 7, for such period and on such terms as may be prescribed.

**CHAPTER-IV**

**The Authorities of the University**

**15. The Authorities of the University -**

The following shall be the authorities of the University namely,

- (a) The Governing Body
- (b) The Executive Council
- (c) The Finance Council
- (d) The Academic Council; and
- (e) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be Authorities of the University.

**16. The Governing Body**

(I) The Governing Body shall consist of the following persons namely,

- (i) The Chancellor
- (ii) The Vice-Chancellor
- (iii) The Registrar
- (iv) The Secretary, Department of Science and Technology, Government of Jharkhand.
- (v) The Secretary, Department of Finance, Government of Jharkhand.

- (vi) The Secretary, Department of Industry, Government of Jharkhand.
- (vii) The Secretary, Department of Human Resource, Government of Jharkhand.
- (viii) The Secretary to the Hon'ble Governor, Government of Jharkhand.
- (ix) The Chairman, AICTE or his nominee.
- (x) Director, Science and Technology.
- (xi) All the Principals of the Institutions maintained by or affiliated to the University.
- (xii) Four eminent persons representing Industry, Research and Development, Engineering and Technology, Architecture, Fine Arts, Physical and Social Sciences and Public life etc.(to be nominated by the Government)
- (xiii) The regular principals of polytechnics
- (xiv) The Vice-Chancellors of Ranchi University, Vinoba Bhave University, Siddhu Kanhu University, BIT, Mesra and Birsa Agriculture University.
- (xv) Managing Director SAIL, MECON, CCL, HEC, & Director, NIFFT and XLRI.
- (xvi) Two persons nominated by the Chancellor.
- (xvii) Two M.L.A's nominated by the State Legislative Assembly

#### 17. **Powers and Functions of the Governing Body**

- (i) The Chancellor shall be the Chairman of the Governing body and shall preside over all its meetings.
- (ii) The Vice-Chancellor shall act, as Member Secretary to the Governing Body.
- (iii) The Business of the Governing Body shall be conducted in such manner and according to such Rules of procedure as may, from time to time, be prescribed by the Rules of the University.
- (iv) A member of the Governing Body shall be entitled to receive such daily and traveling allowances as may from time to time, be prescribed but shall not be eligible for any remuneration.
- (v) No Person who has become or has been nominated as member of the Governing Body as the holder of a particular appointment or office shall continue to be a member of the Governing Body on his ceasing to be the holder of that particular appointment or Office.
- (vi)(a) Every Member of the Governing Body other than the Ex-Officio Member shall hold office during the pleasure of the Governor:
  - Provided that such members shall be eligible for re-nomination, so however that no such member shall hold office successively for more than two terms;
- (b) A nominated member of the Governing Body may tender resignation of his membership at any time. Such resignation shall be conveyed to the Chancellor by a letter in writing by the member and the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Government;
- (vii) All casual vacancies among nominated members shall be filled by nomination by the Government.
- (viii) The Governing Body shall meet at least once in the year.
- (ix) Upon requisition in writing signed by not less than one third of the total members of the Governing Body, the meeting shall be convened, which shall not be later than fourteen days from the date of receipt of requisition aforesaid.
- (x) The quorum for the meeting of the Governing Body shall be one third of the total number of members or six persons whichever is less.

#### 18. **The Executive Council**

- (I) The Executive Council shall consist of the following persons namely
  - (i) The Vice-Chancellor
  - (ii) The Registrar

- (iii) The Secretary, Department of Science and Technology, Government of Jharkhand or his nominee.
- (iv) The Secretary, Department of Finance, Government of Jharkhand or his nominee.
- (v) The Secretary, Department of Industry, Government of Jharkhand or his nominee.
- (vi) The Secretary, Department of Human Resource, Government of Jharkhand or his nominee.
- (vii) The Chairman, AICTE or his nominee.
- (viii) Director, Science and Technology.
- (ix) Four Principals of the Institutions maintained by University or affiliated to the University.
- (x) Four eminent persons representing Industry, Research and Development, Engineering and Technology, Architecture, Fine Arts, Physical and Social Sciences and Public life etc (to be nominated by the Government)
- (xi) The Finance Officer.
- (xii) The Director, Curriculum Development.
- (xiii) The Controller of Examinations.
- (II) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of Executive Council and shall preside over all its meetings.
- (III) The Registrar shall act, as Member Secretary to the Executive Council
- (IV) The Business of the Executive Council shall be conducted in such manner and according to such Rules of procedure as may, from time to time, be prescribed by the Rules of the University.
- (V) A member of the Executive Council shall be entitled to receive such daily and traveling allowances as may from time to time, be prescribed but shall not be eligible for any remuneration.
- (VI) No person who has become or has been nominated as member of the Executive Council as the holder of a particular appointment or office shall continue to be a member of the Executive Council on his ceasing to be the holder of that particular appointment or Office.
- (VII)(a) Every Member of the Executive Council other than an Ex-Officio Member shall hold office during the pleasure of the Governor:
  - Provided that such members shall be eligible for re-nomination, so however that no such member shall hold office successively for more than two terms;
  - (b) A nominated member of the Executive Council may tender resignation of his membership at any time. Such resignation shall be conveyed to the Chancellor by a letter in writing by the member and the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the Government;
- (VIII) All casual vacancies among nominated members shall be filled by nomination by the Government.
- (IX) The Executive Council shall meet at least once in 3 months and may meet often if necessary.
- (X) Upon requisition in writing signed by not less than one third of the total members of the Executive Council, the Vice-Chancellor shall convene a meeting thereof on a date appointed by him, which shall not be than seven days from the date of receipt of such requisition.
- (XI) In the absence of the Vice-Chancellor, the members present at the meeting shall choose one among themselves to preside over the meeting.
- (XII) The quorum for the meeting of the Executive Council shall be one - third of the total number of members or six persons whichever is less.

#### 19. Powers and Functions of the Executive Council

- (I) The Executive Council shall be separate Executive Body of University and shall perform the following functions, namely:-
  - (i) To approve the budget estimates of the University presented by the Vice-Chancellor;

- (ii) To create posts and appoint teachers and other employees of the University in the manner prescribed;
- (iii) To acquire, hold or dispose off properties or accept gifts and donations, for and on behalf of the University.
- (iv) To arrange for investment and withdrawal of the moneys belonging to the University.
- (v) To determine and regulate the policies relating to the affairs of the University in accordance with the provisions of this Act and Rules made there under;
- (vi) To appoint such committees, either standing or temporary, as may be considered necessary for any specific or general purpose for fulfillment of the objects of the University and for ensuring the proper administration of the affairs or academic activities of the University;
- (vii) To promote the academic autonomy of the Colleges;
- (viii) To make Rules;
- (ix) To establish, equip and maintain the University libraries, laboratories, workshops, museums and the like'
- (x) To provide for Research and Development and dissemination of knowledge.
- (xi) To provide for allowances and traveling allowances, to institute scholarships, bursaries, medals, and prizes, and to organize exhibitions;
- (xii) To control and manage all colleges and hostels in the university area in the manner prescribed by the Rules;
- (xiii) The Executive Council shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for and all powers requisite to give effect to the provisions of the Act.
- (II) Except as expressly provided by this Act, it shall be competent for the Council in the case of posts in connection with the affairs of the University to make Rules regarding the recruitment and the conditions'of service of the persons appointed to such posts.

**20. The Academic and the Finance Council**

There shall be an Academic Council and a Finance Council constituted at the headquarters of the University, to assist the University in the fulfillment of its objects, the composition, powers and functions of which shall be as specified in the Statutes.

**21. Constitution of the Committees by the Authorities of University**

Every authority of the University shall have power to appoint committees which may, unless otherwise provided in this Act, consist of such members of the authority and such other persons as it may think fit.

**22. Removal from Membership of any Authority**

The Executive Council shall remove any person from the membership of any authority on the ground that such person was convicted of an offense involving moral turpitude.

**23. Dispute as to the Constitution of Authority**

Where any question arises whether a person has been duly nominated or appointed as, or is entitled to be, a member of an authority other than the Executive Council or whether any act or proceeding of an authority including the Executive Council is consistent with this Act and the Rules prescribed, it shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

**24. Powers of the Vice-Chancellor to appoint Officers and constitute Committees temporarily**

Notwithstanding anything in this Act, and until such time as an authority is duly constituted the Vice-Chancellor may, subject to the approval of the Chancellor, appoint any officer or constitute any committee

temporarily to exercise and perform all or any of the powers and functions of such authority under this Act.

**25. Legal Protection**

No act or proceeding of the Executive Council, Academic Council, Financial Council or other body constituted under this Act shall be deemed to be invalid by reason only of any defect in the constitution thereof or the existence of any vacancy among its members or of any invalidity in the nomination or appointment of any of its members.

**CHAPTER-V**

**26. Fund of the University:-**

(i) The University shall be a self-finance University which may generate fund from the following sources:-

- (a) Any contribution or grant as may be made by the State Government;
- (b) Any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government or All India Council for Technical Education;
- (c) Any bequests, donations, endowments or other grants made by any private individual or institution;
- (d) Income received by the University from fees etc and
- (e) Amounts received from any other source.

(ii) The amount of the said fund shall be kept in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934), or in a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act No. 5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Central Act no. 40 of 1980) or may be invested in such securities authorized by the Indian Trust Act, 1982 (Central Act No. 11 of 1982), as may be decided by Executive Council.

(iii) The said fund may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed by the Rules.

**27. Power to Borrow**

The University may accept moneys from the Government of India, the State Government, the University Grants Commission, and also borrow money from a Bank or a Corporation, for the purposes of the University Provided that, where the University intends to borrow money from a Bank or a Corporation or both exceeding an amount of fifty thousand rupees at a time or in the aggregate, it shall obtain the prior written approval of the Government therefore.

**28. Certain Restrictions in respect of Finance Matter**

The University shall not divert earmarked funds for other purposes, or revise scales of pay of its staff or implement any scheme which involves any matching contribution from the Government or which imposes a recurring liability on the Government, after the assistance from the sponsoring authority ceases without the prior written approval of the Government;

Provided that the Executive Council may authorize the creation and filling up of posts of teachers for a period not exceeding one year, but any such post shall not be continued or created afresh for any period beyond the said period of one year without the prior written approval of the State Government.

**29. Constitution of Pension, Insurance Fund etc.**



- (i) The University shall constitute for the benefit of its employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Rules, such pension, insurance, gratuity or provident fund as it may deem fit.

**30. Accounts and Audits and Annual Report**

- (i) The annual accounts of the University shall be submitted by the Executive Council to the Government who shall cause an audit to be made by such person as the Government may appoint in this behalf.
- (ii) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall, together with the copies of the audit report, be submitted by the Executive Council to the Government with its comments. The Government shall, as soon as may be, after the receipt of the audit report, cause the audit report, together with the comments of the Executive Council to be laid before the State Legislature.

**CHAPTER-VI**

**Statutes, Ordinances and Rules**

**31. Statutes**

- (i) Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) The constitution, powers and functions of the authorities of the University;
  - (b) The manner of filling vacancies among members of the authorities;
  - (c) The allowances to be paid to the members of the authorities and committees thereof;
  - (d) The procedure at meetings of the authorities including the quorum for the transaction of business at such meetings;
  - (e) The authentication of the orders or decisions of the authorities;
  - (f) The term of office and method of appointment and conditions of service of the Officers of the University other than the Vice-Chancellor.
  - (g) The qualifications of the teachers and other staff of the University.
  - (h) The classification, the method of appointment and determination of the terms and conditions of service of teachers and other staff of the University;
  - (i) The constitution of pension, insurance, gratuity or provident fund for the benefit of the officers' teachers and other staff of the University;
  - (j) the fees to be charged for courses of study, research, experimentation and practical training in the Constituent Colleges and for admission to the examinations for degrees, diplomas and certificates of the University.
  - (k) The institution of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes and the conditions of award thereof;
  - (l) The establishment and maintenance of halls and hostels;
  - (m) The conditions for residence of students of the University in the halls and hostels and the levy of fees and other charges for such residence;
  - (n) The holding of convocations to confer degrees and diplomas;
  - (o) The conferment of honorary degrees and academic distinctions;
  - (p) Conditions of registration of graduates and the maintenance of register thereof;
  - (q) All other matters necessary for carrying out all or any of the purposes of this Act.

**32. Procedure for making Statutes**

- (i) The Statutes of the University with regard to matters set out in section 31(I) shall be made and notified by the Government.
- (ii) The Executive Council may, from time to time, make any Rules in addition to the Statutes referred to in sub-section (i) and may amend or repeal any Rule in the manner after herein provided in this section;  
Provided that nothing in the Statutes referred to in sub-section (i) or in any Rule made by the Executive Council under this sub-section shall adversely affect the conditions of the service of the teachers or other employees transferred to the control of the Technical University.
- (iii) The Academic Council may propose to the Executive Council the draft of every Rule to be made by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeting;  
Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any such Rules, any amendment of a Rule or repeal of a Rule affecting the status, powers, or constitution of any existing authority until, such authority, has been given, an opportunity to express its views on such proposal and any views so expressed shall be considered by the Executive Council.
- (iv) The Executive Council may consider any such draft as is referred to, in sub-section (iii) and pass the Rule or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which it may suggest.
- (v) (a) Every Rule passed by the Executive Council shall be submitted to the Chancellor, who may give or withhold his assent thereto or remit it to the Executive Council for reconsideration,  
(b) No Rule passed by the Executive Council shall have validity unless it is assented to by the Chancellor.

### 33. Powers of the Executive Council

If at any time, the Executive Council considers necessary to do so, it may, in consultation with the Academic Council, amend, add to or repeal the Rules by a special resolution in that behalf. Provided that every such amendment, addition or repeal-

- (i) Shall be consistent with this Act.  
(ii) Shall have no validity unless it is assented to by the Chancellor.

**Explanation:-** For the purposes of this Act, a "special resolution", means a resolution passed at a special meeting of the Executive Council convened for the purpose, by a majority of not less than three fourths of the members present and voting.

### 34. Ordinances

- (i) Subject to the provisions of this Act, the Ordinances of the University may provide for all or any of the following matters, namely :-
- (a) The admission of the students to the constituent colleges;
- (b) The courses of study leading to all degrees, diplomas and certificate of the University.
- (c) The conditions under which the students shall be admitted to the degree, diploma or certificate courses;
- (d) The conduct of examinations of the University and the conditions on which students shall be admitted to such examinations;
- (e) The manner in which exemptions relating to the admission of students to examinations may be given;
- (f) The conditions and mode of appointment and duties of examining bodies and examiners;
- (g) The maintenance of discipline among the students of the University;
- (ii) Save as otherwise provided in this section the Ordinances shall be made by the Academic Council.

- (iii) All Ordinances made by the Academic Council shall take effect from such date as may be fixed by the Academic Council but every Ordinance so made shall be submitted as soon as may be after it is made to the Executive Council and shall be considered by the Executive Council at its next succeeding meeting.
- (iv) The Executive Council shall have power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present at such meeting to modify or cancel any such Ordinances and such Ordinances shall from the date such resolution have effect in such modified form or shall stand cancelled, as the case may be.

### 35. Rules

- (i) The Academic Council, Faculties, Executive Council and the Finance Council of the University may, subject to the approval of the Executive Council, make Rules consistent with this Act, and the Statutes.
- (ii) The Rules may provide for-
- (a) The sending of notices to the members of each authority, the dates of meetings and the business to be transacted at their meetings and also for keeping a record of the proceedings of the meetings.
- (b) The procedure to be followed at the meetings and number of members required to constitute the quorum for the meetings;
- (c) All matters solely concerning such authority or the matters not provided for by this Act, or the Statutes.
- (iii) The Executive Council may refuse to approve the Rules submitted to it or may return them to the authority concerned for further consideration or may approve the Rules without modification or subject to such modifications as the Executive Council may deem fit.
- (iv) Rules made under this section shall come into force on the date of their publication in the Gazette or on such other date as the Executive Council may direct.

## CHAPTER-VII

### Miscellaneous

#### 36. Reservations of Seats for BC, SC & ST

The University shall reserve seats in constituent colleges for the members of the socially and educationally backward classes, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with such principles as may, from time to time, be determined by Government in this behalf.

#### 37. Members Officers to be Public Servant

All members, officers and employees of the University when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

#### 38. Protection of Act and Order

No suit or legal proceedings shall be instituted against, or damage claimed from, the University or its authorities, bodies or officers, for anything which is in good faith done or intended to be done, or for any order passed in good faith, in pursuance of this Act, or the Rules.

#### 39. The Registrar to forward copy of proceeding to Government.

The Registrar shall forward to the Government copies of the proceedings of every meeting of the Executive Council within two months of the meeting.

#### 40. Power of Government to cause inspection of University

The Government shall have the right to cause inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments or any

institution maintained, affiliated to or approved by, the University and also of the work conducted by the University, and to cause enquiry to be made in respect of any matter connected with the University.

**41. University not to pay Dividend etc. in money**

The University shall not pay any money to any, of its, members of staff or students any dividend, gift, diversion or bonus, except by way of prize, award or special grant.

**42. Recovery of Loans etc as arrears of Land Revenue**

Where the arrears of any loan or advance granted by the University to any college or institution or persons are not paid before the date specified therefore, the Executive Council may, without prejudice to any other mode of recovery, issue a certificate for the recovery of the amount stated therein to be arrears of revenue to the Collector of the district concerned and the Deputy Commissioner shall proceed to recover the amount stated to be due in the said certificate, as per provisions of the Certificate Act.

**43. Review Committee**

- (i) The Chancellor may appoint a committee consisting of one or more persons to make an enquiry and report in regard to the work and progress of the University in general, or in regard to any specific activity of the University.
- (ii) The Chancellor may on receipt of the report of the said committee made under sub-section (i) take such action and issue such directions as he considers necessary in respect of any matter dealt within the said report and the University shall be bound to comply with such directions.

**44. Annual Report of the University**

The Executive Council shall prepare an annual report of the University under the direction of the Vice-Chancellor and submit the said report to the Government within one month of its annual meeting at which the said report was considered.

**45. Repeal And Saving**

- (i) On and from the date of commencement of this Act, and the University coming into existence as per Section (3) of this Act, the provisions of the Jharkhand Universities Act 2000, shall cease to apply to and in respect of the colleges, institutions or Departments disaffiliated from other Universities and affiliated to the University under the provisions of this Act.
- (ii) Such cessation shall not affect-
- (a) The previous operation of the said Acts, or
- (b) Any penalty, forfeiture or punishment, incurred in respect of any offence committed under the said Acts or
- (c) Any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such penalty, forfeiture or punishment, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

**46. Removal of Doubts and Difficulties**

If any doubt or difficulty arises as to the first constitution of any authority of the University or as to the reconstitution thereof after the commencement of this Act, or otherwise, in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the doubt or difficulty :

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act in respect of the first committee of any such authority.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
बी० बी० मंगलमूर्ति,  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
झारखण्ड गजट (असाधारण) 855—50 ।

**विधि (विधान) विभाग**

23 अक्टूबर, 2019

संख्या-एल०जी०-25/2018-291/लेज० झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-25/09/2019 को अनुमत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**THE JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) ACT, 2018**

**(Jharkhand Act- 15, 2019)**

An Act to amend The Jharkhand University of Technology Act, 2011 be enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 69th year of the Republic of India as follows.

**CHAPTER-1**

**Preliminary**

**1. Short title and commencement-**

- (i) This Act may be called "The Jharkhand University of Technology (Amendment) Act, 2018"
- (ii) It shall come into force at once.

**CHAPTER-2**

Amendment to The Jharkhand University of Technology Act, 2011

**2. Amendment of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19 of The Jharkhand University of Technology Act 2011.**

The Existing Provision of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19 of The Jharkhand University of Technology Act 2011.

---

**"To create posts and appoint teachers and others employees of the University in the manner prescribed"**

Be substituted by the following provision:-

Substitution of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19

**"To create posts and appoint teachers of University, Officers of University, Non-Teaching posts of University and other Teaching Posts of University through recommendation of Jharkhand Public Service Commission (JPSC) and Non-Teaching staff of University through recommendation of Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) in the manner prescribed"**

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

-----